मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

दर्ज दिनांक 22.06.2020

प्रकरण संख्याः– 62/2020 (2020/00197)

वाद– अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. कमलेश पिता भगवतीलाल बापना निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवास न्यू पनवेल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र
2. तरूण कुमार पिता भगवतीलाल बापना निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भगवतीलाल पिता शेषमल बापना पिता भगवतीलाल बापना निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भेरूलाल पिता रामेश्वर लाल माली निवासी गलोदिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल गंगापुर।
2. ताराचन्द पिता रामेश्वर लाल माली निवासी गलोदिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. कैलाश बाई पुत्री रामेश्वर लाल माली निवासी गलोदिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. प्रेम बाई पुत्री रामेश्वर लाल माली निवासी गलोदिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगणः–श्री संतोष कुमार पारीक
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 :– श्री रितेश सुराणा
प्रतिवादी संख्या 3 व 4 :– एक पक्षीय कार्यवाही
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 13.07.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पारीक एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री रितेश सुराणा तथा पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---x--- और इस वाद के खर्च लेखे -----x--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----x------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x------ द्वारा -----x----- को दी जाए।

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 62 / 2020(2020 / 00197)
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। राजीनामा के पार्ट अनुसार ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती के आराजी संख्या 1916 रकबा 0.31 हे0 , 1921 रकबा 0.18 हे0, 1922 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.69 हे0 भूमि वादीगण के नाम तन्हा दर्ज करने एवं आराजी संख्या 1918 रकबा 0.15 हे0, 1920 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.24 हे0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने एवं आराजी संख्या 1917 0.07 हे0 , 1919 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 हे0 भूमि रास्ते हेतु शामलाती वर्तमान खातेदार के हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आराजी संख्या 1923 गे0म0 आचा वादीगण के हिस्से में रहेगा। वाद वर्णित आराजियात में स्थित पूर्वजों के चबुतरे को वादीगण हटाने के अधिकारी होंगे। मौके पर स्थित बरगद के पेड़ को वादीगण को हटावें, रखे उस पर प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं होगा। उक्तानुसार डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार सहाड़ा को तहरीर जारी हो।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0) 2.

Scanned with CamScanner